न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त , अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल0आर0ए0 संख्या 301/2020 जिला भीलवाड़ा

गोविन्दसिंह पुत्र शम्भूसिंह जाति राजपूत निवासी हन्सेड़ा पटवार हल्का भगुनगर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा।

–अपीलांट

बनाम्

1. नारायणसिंह पुत्र शैतानसिंह जाति राजपूत निवासी हन्सेड़ा पटवार हल्का भगुनगर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा।

–रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 28.02.2020 जो कि अपील संख्या 31/2019 में पारित किया गया।

उपस्थित अभिभाषकः–श्री एम0एल0गुर्जर(अपीलांट अभि0)
रेस्पो0 अभिभाषकः–श्री हेमराज गुप्ता
राजकीय अभिभाषकः–श्री आकाश पारीक

निर्णय

दिनांकः–31.01.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम हन्सेड़ा तहसील जहाजपुर में स्थित खसरा नम्बर 194 और 197 का कुल रकबा 2 बीघा है। उक्त खसरों की खातेदार गोपालकंवर पत्नि भंवरसिंह थी। गोपालकंवर की मृत्यु दिनांक 17.10.2013 को हुई। मृत्यु से पूर्व दिनांक 12.06.2013 को गोपालकंवर ने एक वसीयत रेस्पो0 नम्बर 1 नारायणसिंह के पक्ष में की थी। नारायणसिंह द्वारा उक्त वसीयत के आधार पर एक प्रार्थना पत्र अपने पक्ष में नामातंरण खोलने बाबत दिनांक 07.11.2017 को तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र को 113/2017 नम्बर दिया गया। बाद सुनवाई तहसीलदार ने दिनांक 10.04.2018 को निर्णय दिया तथा निर्णय के अनुसरण में नामातंरण संख्या 600 भरा गया, मगर स्वीकृत नहीं हुआ। अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष दिनांक 30.08.2018 को प्रस्तुत किया गया। इस प्रार्थना पत्र को 130/2018 नम्बर दिया गया। तहसीलदार ने दोनो पक्षों को सुनकर दिनांक 19.08.2019 को रेस्पो0 1 के पक्ष में निर्णय दिया गया। अपीलांट के अनुसार तहसीलदार द्वारा दिनांक 10.04.2018 को जो निर्णय दिया गया। उसमें उन्हें नहीं सुना गया था। न ही साक्ष्य का अवसर दिया गया। तहसीलदार के निर्णय दिनांक 10.04.2018 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र पर दिनांक 19.08.2019 को निर्णय करते हुए नामातंरण संख्या 600 के निस्तारण का आदेश दिया। अपीलांट के अनुसार इस प्रकार तहसीलदार जहाजपुर का निर्णय दिनांक 10.04.2018 अपीलांट के रिव्यू प्रार्थना पत्र के निर्णय दिनांक 19.08.2019 में मर्ज हो गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:20:01 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार के निर्णय दिनांक 19.08.2019 से व्यथित होकर ए0डी0एम0 भीलवाड़ा के यहां अपील प्रस्तुत की। जहां रेस्पो0 नम्बर 1 ने आपत्ति के साथ एक प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपील को सुनने का क्षेत्राधिकार ए0डी0एम0

न्यायालय को न होकर ए0डी0सी अथवा डी0सी0 न्यायालय को है। अतः अपील क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज किया जायें। अपीलांट द्वारा उक्त आपत्ति का जवाब प्रस्तुत किया गया।

दिनांक 04.10.2019 को ए0डी0एम0 भीलवाड़ा ने अपील को क्षेत्राधिकार में माना और रेस्पो0 संख्या 1 के प्रार्थना पत्र को खारिज किया तथा प्रकरण को पुनः रिमाण्ड कर तहसीलदार जहाजपुर को प्रेषित किया।

ए0डी0एम0 न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर निर्णय दिनांक 04.10.2019 के विरूद्ध रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। जिसे उनके द्वारा दिनांक 16.12.2019 को खारिज कर दिया है।

दिनांक 23.01.2020 को रेस्पो0 संख्या 1 नारायणसिंह द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र आपत्ति के साथ प्रस्तुत किया कि अपीलांट द्वारा दो अलग–अलग प्रकरणों में पारित आदेशों के विरूद्ध एक ही संयुक्त अपील प्रस्तुत की है। जो कि विधि के अनुसार पोषणीय नहीं है। अपील समय सीमा से बाधित है और अपीलेट न्यायालय को मियाद के बिन्दु को पहले निर्णय करना चाहिए।

उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष को सुनते हुए दिनांक 28.02.2020 को निर्णय करते हुए रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट की अपील को अवधि बाधित मानकर खारिज कर दिया। ए0डी0एम न्यायालय भीलवाड़ा के दिनांक 28.02.2020 के निर्णय से व्यथित होकर उक्त अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है–

1. निर्णय नॉनस्पिकिंग है।

2. अपने पूर्व निर्णय दिनांक04.10.2019 में प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया था तथा रेस्पो0 1 की आपत्ति को निरस्त कर दिया था। अब पुनः रेस्पो0 1 के प्रार्थना पत्र के आधार पर अपील को खारिज करने के अधिकार नहीं रखते थे।

3. प्रकरण संख्या 113/2017 मूल प्रकरण के नम्बर थे व प्रकरण संख्या 130/2018 रिव्यू प्रार्थना पत्र के नम्बर थे। अतः इन दोनो में पारित आदेशो को 2 अलग–अलग आदेश नही माना जा सकता है।

4. ए0डी0एम न्यायालय के समक्ष अपील अंदर मियाद थी। अंत में अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार करने हेतु निवेदन करते हुए ए0डी0एम0 भीलवाड़ा के निर्णय दिनांक 28.02.2020 को निरस्त कर रिमाण्ड करने हेतु निवेदन किया।

5. उक्त अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा ए0डी0एम0 न्यायालय भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 28.02.2020 की प्रमाणित प्रतिलिपी, प्रकरण संख्या 123/2017 की प्रमाणित प्रति न्यायालय ए0डी0एम0 भीलवाड़ा प्रस्तुत किये।

अपील के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिसेज जारी किये। अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड तलब किया जाकर प्राप्त किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:20:01 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष सुनी गई, बहस में मुख्य रूप से अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपीलांट अभिभाषक द्वारा यह कहा गया कि तहसीलदार को अपील लौटानी चाहिए थी न की खारिज करनी चाहिए थी। साथ ही यह कहा है कि दो अलग–अलग आदेश थे मगर विषय वस्तु समान होने से हमने अलग–अलग अपील नहीं की। प्रकरण ऑर्डर 7 रूल 10 सीपीसी से कवर होता है। वकील रेस्पो0 ने अलग–अलग अपील प्रस्तुत करने की आवश्यकता बताई।

रिब्युटल में वकील अपीलांट ने कहा है कि निर्णय एक ही हुआ है दो नही। समेकन से ऑर्डर एक ही है। प्रस्तुत प्रकरण में अपील की मियाद अवधि दो माह की होगी तथा मर्जर के बाद एक ही अपील मानी जायेगी।

वकील अपीलांट द्वारा निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये–आरबीजे(4) 1997 अर्जुनसिंह बनाम धूलीचन्द आदेश 7 नियम 10–जब अपीलेट न्यायालय को अपील को सुनने का अधिकार नहीं है तो सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु उसे लौटा देना चाहिए। आरबीजे(6) 1999 पेज 349–मांगू बनाम भंवरबाई आदेश 7 नियम 10 यदि न्यायालय को वाद सुनवाई का अधिकार नहीं है तो सक्षम न्यायालय में वादपत्र को प्रस्तुत करने हेतु उसे लौटा दिया जायें। आरबीजे(5) 1998 पेज 189–एल0आर0एक्ट 1956 सीपीसी 1908 आदेश 7 नियम 10 यदि अपील गलत न्यायालय में पेश की हो तो उसे लौटा दिया जाता है।

वकील रेस्पोडेंट द्वारा निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये–

1. 1979 आरआरडी पेज 89–दो भिन्न विषयों पर एक सामान्य आदेश बाबत एकल निगरानी चलने योग्य नहीं है।

2. 1983 आरआरडी पेज 811–दो अपीलो क निर्णय के विरूद्ध एक अपील मेंटेलेबल नहीं है।

3. 1998 आरबीजे पेज 192–दो नामातंरण आदेश एक अपील के माध्यम से निस्तारित नहीं की जा सकेगी।

4. 2020(1) आरआरटी पेज 401–दो निर्णयों के विरूद्ध एक अपील मेंटेनेबल नहीं है।

5. 2022(1) आरआरटी पेज 484–दो निर्णयों के विरूद्ध एक अपील रेस जुडीकेटा के सिद्धांत से प्रभावित है और मेंटेनेबल नही है।

6. 2021(2) आरआरटी 997–वादी को मौखिक साक्ष्य के आधार पर कोई डिग्री का लाभ नहीं दिया जा सकता है। प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम खारिज किया गया। एक अपील संधारण योग्य नहीं है।

1. प्रस्तुत प्रकरण में बहस सुनने के बाद यह उभरकर सामने आया है कि तहसीलदार जहाजपुर द्वारा दिनांक 10.04.2018 एवं दिनांक 19.08.2019 के निर्णय को अलग–अलग माना जाये या विषय वस्तु एक होने से एक ही माना जायें।

2. क्या ए0डी0एम न्यायालय को धारा 135(2) के तहत प्रकरण में सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

प्रकरण संख्या 113/2017 निर्णय दिनांक 10.04.2018 द्वारा तहसीलदार जहाजपुर के निर्णय के ऑपरेटिव भाग का अवलोकन किया गया। इसके अनुसार ''अतः मृतका गोपालकंवर पत्नि भंवरसिंह राजपूत की मृत्यु होने की प्रमाणिकता तथा उनके द्वारा की गई वसीयत की गवाह बयानों से प्रमाणिकता होने से वसीयत के अनुसार भूमि गोपालकंवर पत्नि भंवरसिंह के बजाय नारायणसिंह पिता शैतानसिंह राजपूत निवासी हंसेड़ा के नाम किया जाना उचित पाया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय मजमेआम में सुनाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद अपील अवधि समाप्ति, पालना पटवारी हल्का को पृथक से लिखा जायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:20:01 IST
Reason: SelfAttested

उक्त प्रकरण तहसीलदार जहाजपुर द्वारा धारा 135(2) एल आर एक्ट में दर्ज किया जाकर निस्तारित किया गया था। जो पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है।

प्रकरण संख्या 130/2018 निर्णय दिनांक 19.08.2019 का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में दिये गये निर्णय के ऑपरेटिव पार्ट का अवलोकन किया गया। इसके अनुसार "पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजो, बयानों एवं साक्ष्यो पर गहन मनन करने के पश्चात में इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वादी गोविन्द सिंह पित शम्भूसिंह द्वारा ऐसा कोई सबूत,तथ्य एवं गवाह नहीं पेश किया गया जिसे साबित हो कि वसीयत गलत और फर्जी तैयार की गई है। अतः प्रकरण संख्या 113/2017 में पारित निर्णय में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। ग्राम हंसेड़ा की आराजी नम्बर 193/18(साबिक नम्बर 194,197) रकबा 2 बीघा भूमि गोपालकंवर पुत्री शैतानसिंह राजपूत के नाम निवासी हंसेड़ा के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की पालना हेतु पटवारी हल्का बघुनगर को बाद अपील पृथक से लिखा जायें। 113/2017 में पारित निर्णय की पालना में दर्ज नामातंरण संख्या 600 निस्तारण हेतु प्रस्तुत करें। उक्त प्रकरण धारा 135(2) के तहत तहसीलदार द्वारा निर्णित किया गया था।

दोनो प्रकरण संख्या 113/2017, 130/2018 के ऑपरेटिव पार्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण संख्या 130/2018 में प्रकरण संख्या 113/2017 के निर्णय मात्र को रिपीट किया गया है। सार रूप से दोनो निर्णय पृथक–पृथक ना होकर एक ही है। सिर्फ प्रकरण संख्या अलग–अलग दर्ज की जाकर अलग–अलग समय पर उक्त प्रकरणों में कार्यवाही निष्पादित की गई है। प्रकरण संख्या 130/2018 में पूर्व निर्णय के एक्जीक्युशन की बात की गई है। अलग कोई निर्णय नहीं दिया गया है। अतः न्यायालय का यह मानना है कि उक्त दोनो निर्णय एक ही निर्णय है। वकील रेस्पोडेंट द्वारा दिये गये न्यायिक दृष्टांत उक्त प्रकरण पर लागू नहीं होते है।

जब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली धारा 135(2) एल आर एक्ट के तहत दर्ज कर निर्णय पारित किया है। इसके विरूद्ध अपील संभागीय आयुक्त/अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के यहां कोषणीय होती है। इस हेतु न्यायिक दृष्टांत **आरआरटी(1) पेज 726**–विवादित नामातंरण के विरूद्ध अपील 75(1)(एफ)डाईरेक्टर लैण्ड रिकोर्ड अथवा संभागीय आयुक्त के सामने कोषणीय होती है ना कि जिला कलक्टर अथवा अतिरिक्त जिला कलक्टर के सामने होती है, **2004 आरआरटी(1) पेज 381**–विवादित नामातंरण प्रकरण में तहसीलदार द्वारा भू–अभिलेख अधिकारी की हैसियत से आदेश पारित किया है। ऐसे आदेश की अपील सुनने का अधिकार धारा 75(1)(घ) के अन्तर्गत निदेशक भू–अभिलेख,संभागीय आयुक्त/अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को है। ऐसी अपीले सुनने का अधिकार जिला कलक्टर को नही है। , **2010 आरआरटी (2) पेज 1322**–नामातंरण तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया और आदेश के विरूद्ध अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के विरूद्ध कोषणीय है। आदेश अवैध है एवं अपास्त किया।

हस्तगत प्रकरण में अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 31/2019 में तहसीलदार जहाजपुर के प्रकरण संख्या 113/2017, 130/2018 में दिनांक 04.10.2019 को निर्णय दिया था। जहां विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा इस बाबत आक्षेप किया गया था कि अतिरिक्त जिला कलक्टर को अपील सुनने का अधिकार ना होकर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त/संभागीय आयुक्त न्यायालय को ही है। मगर अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 113/2017 निर्णय दिनांक 04.[illegible]8 के बारे में यह लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय ने किस धारा में उक्त निर्णय [illegible] किया है। यह निर्णय में कही अभिलिखित नहीं है। साथ ही भूमि [illegible] है। इस बात का हवाला सही तरीके से नही दिये जाने से भी तहसीलदार जहाजपुर के [illegible]य दिनांक 19.08.2019 को प्रारंभिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:20:01 IST
Reason: SelfAttested

परीक्षण में त्रुटि को माना तथा प्रकरण को पुनः तहसीलदार जहाजपुर को रिमाण्ड कर दिया गया।

प्रकरण संख्या 113/2017 की मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त पत्रावली के संरवर्क का अवलोकन किया गया। इसके मुख्य पृष्ठ पर किस्म मुकदमा 135(2) दर्ज किया हुआ है। तहसीलदार द्वारा दिनांक 10.04.2018 को न्यायालय प्रोसिडिंग में ही उक्त निर्णय का अंकन कर दिया गया है। पृथक से कोई आदेश जारी किया जाना पत्रावली पर दृष्टिगोचर नहीं होता है। सरवर्क के अवलोकन से उक्त प्रकरण 135(2) के तहत दर्ज किया जाना तथा निर्णित किया जाना माना जाना उचित होगा। धारा 135(2) के निर्णय के विरूद्ध अपील सिर्फ संभागीय आयुक्त न्यायालय/अतिरिक्त संभागीय आयुक्त न्यायालय के समक्ष ही कोषणीय है। अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा बिना क्षेत्राधिकार निर्णय किया गया। जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

बहस के दौरान वकील रेस्पोडेंट द्वारा यह बताया गया है कि वसीयत में गवाहों का परीक्षण किया गया था तथा गोपालकंवर की मृत्यु के बाद नामातंरण उक्त वसीयत के बाद ही किया गया था। वसीयत को गोविन्द सिंह द्वारा संदिग्ध बताया गया था और किसी भी संदिग्ध वसीयत के परीक्षण करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है। इस बाबत कई न्यायिक दृष्टांत आ चुके है।

समग्र रूप से पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात एवं बहस बिन्दुओ के अवलोकन के बाद न्यायालय का यह मानना है कि निर्णय द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा प्रकरण संख्या 31/2019 में दिनांक 28.02.2020 को जारी किया गया था को अपास्त किया जाना उचित होगा।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा प्रकरण संख्या 31/2019 गोविन्द सिंह बनाम नारायण सिंह निर्णय दिनांक 28.02.2020 को निरस्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 31.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:20:01 IST
Reason: SelfAttested